

कार्यालय उपनिदेशक माध्यमिक शिक्षा, जयपुर संभाग, जयपुर

क्रमांक : उनि/माशि/जय/संस्था/फा-द्वि.श्रे.अ. 2016/विज्ञान/2018/

दिनांक : 01.09.2018

कार्यालय आदेश


निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर के पत्र क्रमांक शिविरा/माध्य/संस्था/एफ-1/12102/सी. भ./व.अ. विज्ञान/ सामाजिक विज्ञान /2016 दिनांक 30.09.2018 के द्वारा राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा वरिष्ठ अध्यापक विषय विज्ञान के पद पर राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम 2017 के पे मेट्रिक्स वेतन लेवल 11 के पद पर चयनोपरान्त नियुक्ति देने हेतु इस कार्यालय को आवंटित किये जाने फलस्वरूप संलग्न सूची में विवरणांकित आशार्थियों को वरिष्ठ अध्यापक-(विषय) विज्ञान के पद पर राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम 2017 के पे मेट्रिक्स वेतन लेवल 11 में दो वर्ष की अवधि हेतु परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी के रूप में नियत मानदेय रुपये 26500/- प्रतिमाह विद्यमान वेतनमान देय होगा। वरियता क्रमानुसार काउन्सलिंग का आयोजन दिनांक 01.10.2018 को किया जाकर अभ्यर्थी के द्वारा भरे गए विकल्प पत्र के अनुसार पदस्थापन आदेश निम्नांकित शर्तों पर जारी किये जाते हैं।

1. परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण (प्रोबेशनर ट्रेनी) की अवधि में नियत मानदेय के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार के भत्ते यथा महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता, विशेष वेतन, बोनस आदि देय नहीं होंगे।
2. परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण (प्रोबेशनर ट्रेनी) की अवधि में राज्य बीमा, सामान्य प्रावधानी निधि की कटौती नहीं होगी।
3. परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण (प्रोबेशनर ट्रेनी) की अवधि को वार्षिक वेतन वृद्धि के लिए गणना योग्य नहीं माना जाएगा।
4. परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण अवधि में इन्हें कैलेण्डर वर्ष में केवल 15 दिन का आकस्मिक अवकाश ही देय होगा। (वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ.12(9)एफ.डी. रूल्स 2017, जयपुर दिनांक 30.10.2017 के अनुसार)
5. वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ.12(9)एफ.डी. रूल्स 2017, जयपुर दिनांक 30.10.2017 के अनुसार प्रोबेशनर ट्रेनी के फिक्स रेम्यूनरेशन से नवीन पेंशन अंशदान की कटौती नियमानुसार होगी।
6. चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति आदेश प्रसारित विज्ञप्ति वरिष्ठ अध्यापक, विभिन्न विषय प्रतियोगी परीक्षा 2016 के प्रकरण में माननीय न्यायालय में दायर विभिन्न याचिकाओं के निर्णय के अध्याधीन होंगे।

विद्यालय आवंटन के पश्चात संबंधित संस्था प्रधान इनको कार्यग्रहण करवाने से पूर्व निम्नांकित कार्यवाही आवश्यक रूप से संपादित करेंगे।

1. अनावश्यक लाभ रोकने के उद्देश्य से आवेदन पत्र पर अंकित फोटों से कार्यग्रहण करने वाले अभ्यर्थी से मिलान कर लें एवं यह सुनिश्चित कर लें कि जिस अभ्यर्थी ने आयोग की परीक्षा दी है, वही अभ्यर्थी नौकरी पर कार्यग्रहण करें।
2. नियुक्ति पर कार्यग्रहण करवाने से पूर्व नियमानुसार संबंधित अभ्यर्थी का संबंधित जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रदत्त चरित्र संबंधी सदाचरण रिपोर्ट एवं सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वस्थता प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा, इसके अभाव में किसी भी अभ्यर्थी को नियुक्ति पर कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे। पूर्व से राजकीय सेवा में सेवारत कार्मिकों हेतु यह आवश्यक नहीं होगा।
3. कार्यग्रहण करवाने से पूर्व आवेदन पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजों का मिलान मूल दस्तावेजों से कर सही पाये जाने पर ही कार्य ग्रहण करवाए।
4. संलग्न सूची में कतिपय अभ्यर्थियों के नाम/पिता का नाम/जन्मतिथि/स्थाई पते में सहवन से कोई त्रुटि रह गई है तो उन प्रकरणों में अभ्यर्थी के आवेदन पत्र एवं संलग्न प्रमाण पत्रों से मिलान कर अपने स्तर पर उसे दुरुस्त करें।


5. कार्यग्रहण करवाने से पूर्व अभ्यर्थी से यह शपथ पत्र लेवें कि उसके द्वारा प्रस्तुत सूचनाएं एवं दस्तावेज सही हैं, इनके त्रुटिपूर्ण, जाली अथवा कूटरचित पाये जाने पर उनकी नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी एवं उनके विरुद्ध कार्यवाही करने हेतु विभाग स्वतंत्र होगा।
 6. कार्यग्रहण करवाने से पूर्व संबंधित अभ्यर्थी से कार्मिक विभाग की अधिसूचना क्रमांक:प.7(3)कार्मिक/क-2/06 पार्ट दिनांक 04.10.2013 के अनुसार धूम्रपान/मद्यपान एवं गुटखा सेवन नहीं करने संबंधी वचनबद्धता(Undertaking) निर्धारित प्रपत्र में प्राप्त की जावें।(प्रारूप संलग्न)
 7. वरिष्ठ अध्यापक विभिन्न विषय भर्ती परीक्षा 2016 में चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति माननीय उच्च न्यायालय जयपुर/जोधपुर में दायर विभिन्न याचिकाओं में पारित अंतिम निर्णय के अध्याधीन रहेगी।
 8. नियुक्त अभ्यर्थियों को दिनांक 05.10.2018 तक संबंधित विद्यालय में आवश्यक रूप से कार्यग्रहण करना होगा
- संलग्न :- आदेश संख्या 1


 (विष्णु दत्त स्वामी)
 उपनिदेशक माध्यमिक शिक्षा
 जयपुर संभाग, जयपुर

क्रमांक : उनि/माशि/जय/संस्था/फा-द्वि.श्रे.अ. 2016/ विज्ञान /2018/
 प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

दिनांक : 01.10.2018

1. श्रीमान विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्यमंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर
2. श्रीमान प्रमुख शासन सचिव, स्कूल एवं संस्कृत शिक्षा, राजस्थान जयपुर।
3. श्रीमान शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. श्रीमान शासन सचिव, कार्मिक (क-2)विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. श्रीमान सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
6. श्रीमान निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
7. उपनिदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, जयपुर संभाग, जयपुर।
8. जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक/प्रारम्भिकको संबंधित के मूल आवेदन पत्र सहित प्रेषित कर लेख है कि मूल आवेदन पत्र आज ही संबंधित विद्यालयों को भिजवाए जाने की व्यवस्था किया जाना सुनिश्चित करें।
9. संबंधित पीईईओ/संस्था प्रधान को प्रेषित कर लेख है कि मूल आवेदन पत्र आपके परिक्षेत्र के जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक को प्रेषित किए जा चुके हैं। आपसी समन्वय ये आवेदन पत्र प्राप्त कर लें।
10. संबंधित आशार्थी (पंजीकृत डाक द्वारा)
11. नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा।
12. विभागीय वेबसाइट rajrmsa.nic.in पर प्रकाशनार्थ।
13. रक्षित पत्रावली।



 (रामेन्द्र शर्मा)
 सहायक निदेशक
 माध्यमिक शिक्षा, जयपुर संभाग, जयपुर

आदेश - 1

कार्यालय उपनिदेशक माध्यमिक शिक्षा जयपुर सभाग, जयपुर

वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा 2016 के विज्ञान विषय में चयनित अभ्यर्थियों की पदस्थापन सूची

क्र. स.	मेरिट संख्या	अभ्यर्थी का नाम	पिता का नाम	जन्मतिथि	वर्ग	चयन वर्ग	वि. वर्ग	District	Block	School
1	10	ANIL KUMAR	MOHAN SINGH	30-09-1982	BC	GENM		JAIPUR	BASSI	GOVT. SR. SEC.SCHOOL, MADHOGARH(JAIPUR), BASSI (08120820001)
2	80	SANJAY KUMAR SHARMA	BHAGWAN SINGH SHARMA	01-01-1981	GE	GENM		ALWAR	KATHUMAI	GOVT. SENIOR SECONDARY SHCOOL KHONKAR, BLOCK-KATHUMER,ALWAR, KATHUMAR (08061406908)


उपनिदेशक माध्यमिक शिक्षा
जयपुर सभाग, जयपुर